जिलाधिकारी कार्यालय, पटना।

(गोपनीय शाखा)

आ दे श

COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट,1897 (The Epidemic Diseases Act, 1897) की धारा–2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Lockdown करने का आदेश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–303 दिनांक–06.05.2020 एवं पत्रांक–317 दिनांक–18.05.2020 के द्वारा Lockdown की अवधि में कंटेन्मेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर विभिन्न प्रकार/सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं (कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित) के दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग–अलग दिन अथवा अलग–अलग समय पर खोलने के संबंध में जिला पदाधिकारी को निर्णय लेने का निदेश दिया गया है।

उक्त के आलोक में दुकानों/प्रतिष्ठानों को छः श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने के संबंध में निम्न प्रकार से दिन का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के दुकान/प्रतिष्ठान संध्या 06.00 बजे तक ही खोले जाऐंगे।

श्रेणी–I :– प्रतिदिन खुलने वाले दुकान/प्रतिष्ठानों की सूचीः–	
(i) किराना दुकान,	(ii) डेयरी/मिल्क बूथ,
(iii) मेडिकल/दवा की दुकान,	(iv) सभी अस्पताल
(v) निजी क्लीनिक,	(vi) होम डिलिवरी सेवा (रेस्टोरेंट आदि से)
(vii) ई–कॉमर्स सेवा	(viii) अनाज मंडी
(ix) फल/सब्जी मंडी,	(x) कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान
(xi) पशु चारा की दुकान	(xii) मीट एवं मछली की दुकानें।
(xiii) ऑटोमोवाईल वर्क्सशॉप/गैरेज/सर्विसिंग सेन्टर	(xiv) अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं

श्रेणी–II :– सोमवार, बुधवार, शुकवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूचीः–	
(i)	इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर–कन्डीशनर्स (बिक्रय एवं मरम्मत)।
(ii)	इलेक्ट्रॉनिक गुड्स–यथा, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री। (बिक्रय एवं मरम्मत)
(iii)	ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स, Lubricant (मोटर वाहन/मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत सहित)
(iv)	निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा, सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, hardware सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री।
(v)	ऑटोमोबाईल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें ।
(vi)	High Security Registration Plate की दुकान।
(vii)	प्रदूषण जॉच केन्द्र।
(viii)	निजी कार्यालय (33 प्रतिशत कर्मियों के उपस्थिति के साथ)
(ix)	शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय (33 प्रतिशत कर्मियों के उपस्थिति के साथ)

श्रेणी–III :– मंगलवार, गुरूवार,शनिवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूचीः–	
(i) कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित)	(ii) ड्राई क्लीनर्स की दुकान।
(iii) साईकिल/साईकिल मरम्मति की दुकान।	(iv) स्पोटर्स/खेलकूद सामग्री की दुकान।
(v) निजी क्लिनिक	(vi) फर्निचर की दुकान।
(vii) बर्तन की दुकान ।	(viii) सोना–चाँदी की दुकानें।
(ix) जूता–चप्पल की दूकानें।	(x) अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो।

Scanned with CamScanner

श्रेणी–IV :– शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मार्केट कॉम्पलेक्स में अवस्थित दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन :–
शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मार्केट कॉम्पलेक्स में अवस्थित दुकानों/प्रतिष्ठानों के लिए मार्केट कॉम्लेक्स के संचालक/सक्षम समिति के द्वारा **दुकानों/प्रतिष्ठानों को एक–एक दुकान छोड़कर** इस प्रकार खोला जाएगा कि परिसर में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उसके लिए दुकानों को दो रंग से अथवा ऑड–ईवेन (सम–विषम) के आधार पर चिन्हित कर लिया जाएगा। इस प्रकार **आधे दुकानों को सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार** तथा **आधे दुकानों को मंगलवार, वृहस्पतिवार एवं शनिवार को खोला जाएगा, चाहे दुकानों की प्रकृति जो भी हो।** उपरोक्त के अनुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा जो संतुष्ट होकर निम्नांकित शर्त्तो के अनुसार मार्केट कॉम्पलेक्स को खोलने की अनुमति देंगे।

श्रेणी–V :– शॉपिंग मॉल में अवस्थित दुकानों का संचालन :–
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–2/2020–DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 के आलोक में शॉपिंग मॉल में अवस्थित दूकानें बन्द रहेंगी।

श्रेणी–VI :– सभी प्रखंड मुख्यालय (Red Zone) में अवस्थित दुकानों का संचालन :–
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–317/अ0मु0स0को0 दिनांक 18.05.2020 द्वारा प्रखण्ड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को Red Zone के रूप में चिन्हित एवं घोषित किया गया है। अतः प्रखण्ड मुख्यालय (Red Zone) में मात्र श्रेणी–I के सभी दुकान/प्रतिष्ठान एवं श्रेणी–II की कंडिका–(i) से (vii) तक के सभी दुकान/प्रतिष्ठान खोले जा सकेगें।

उपरोक्त सभी दुकान/प्रतिष्ठान को निर्धारित दिवसों को संध्या 06.00 बजे तक निम्नलिखित शर्त्तो के साथ खोलने का आदेश दिया जाता है :–

- सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीददारी करेंगे।
- दुकानों/कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों/कार्यालय के काउन्टर पर दुकानदार साबुन/सेनेटाईजर वहाँ के कर्मियों/आगन्तुकों के उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे।
- दुकान/कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जायेगी।
- सर्दी/खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउन्टर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला को निदेशित है कि उक्त निदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट,1897 (The Epidemic Diseases Act, 1897) में निहित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

<u>यह आदेश दिनांक 25.05.2020 (सोमवार) से प्रभावी होगा।</u>

ह0/–

जिलाधिकारी, पटना।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक______________/गो0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी पुलिस उपाधीक्षक, पटना/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी पटना/नगर दण्डाधिकारी–सह–प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 4353 /गो0, पटना, दिनांक 22/5/20

प्रतिलिपि :– आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार,पटना को सादर समर्पित।

22/5/20

जिलाधिकारी, पटना।

Scanned with CamScanner